

पहल

ई-समाचार पत्र (मासिक) – उनचासवां संस्करण (माह नवंबर, 2019)

→ “पहल” के इस संस्करण में

1. अपनी बात
2. श्री संजय सिंह (आई.ए.एस.), अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का भ्रमण
3. पंचायतराज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि के सार्थक प्रयास
4. काव्य रचना
5. मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम
6. जल संरक्षण एवं बेहतर कार्य के लिये मिला ग्राम पंचायत को आईएसओ प्रमाण पत्र
7. कृषकों की खुशहाली का साधन – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
8. सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध



प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार

श्रीमती गौरी सिंह (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक

संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान-म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.-म.प्र., जबलपुर

ई-न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें—mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR





अपनी बात...



“पहल” मासिक ई-न्यूज लेटर का उनचासवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का सातवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण “श्री संजय सिंह (आई.ए.एस.), अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का भ्रमण” आलेख के माध्यम से महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल जबलपुर में संस्थान के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2019 के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया एवं तत्पश्चात् अतिरिक्त सचिव महोदय द्वारा सबकी योजना सबका विकास योजना ग्राम पंचायत विकास योजना को केवल संरचना निर्माण तक सीमित न रहकर अन्य बिन्दु जैसे जीपीडीपी का सफल क्रियान्वयन, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अभिसरण के माध्यम से पंचायत के कार्य, महिलाओं की भूमिका, सभी वर्गों एवं सभी विभागों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु सुझाव एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये।

साथ ही “पंचायतराज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि के सार्थक प्रयास”, “मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम सिवनी”, “जल संरक्षण एवं बेहतर कार्य के लिये मिला ग्राम पंचायत को आईएसओ प्रमाण पत्र”, “कृषकों की खुशहाली का साधन – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” एवं “सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध” आदि आलेख को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि ‘पहल’ का यह संस्करण रुचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

**संजय कुमार सराफ
संचालक**



श्री संजय सिंह (आई.ए.एस.) अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार,
पंचायती राज मंत्रालय का भ्रमण



भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव (पंचायतराज) श्री संजय सिंह (भारतीय प्रशासनिक सेवा) का आगमन दिनांक 18/10/2019 को दिल्ली से जबलपुर विमानतल में शाम 06 बजे हुआ जिनका श्री संजय कुमार सराफ संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर, उपसंचालक डा. अश्विनी कुमार अंबर एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सचान द्वारा अतिरिक्त सचिव महोदय का स्वागत किया गया।

औपचारिक भेट पश्चात अतिरिक्त सचिव महोदय सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2019 के अंतर्गत मंडला जिले की चयनित ग्राम पंचायतों के भ्रमण हेतु मंडला जिले हेतु वाहन द्वारा प्रस्थान किया गया।

दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2019 सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2019 के अंतर्गत मंडला जिले की जनपद पंचायत बिछिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मोचा एवं राता की ग्राम सभा में उपस्थित हुये ग्राम सभा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष कुमार, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तन्वी हुड्डा एवं ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंच, एवं ग्राम सभा के सदस्य, विभिन्न विभागों से आये प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

ग्राम सभा में कोरम पूर्ति के पश्चात् सभी विभागों द्वारा अपनी – अपनी योजनाओं को प्रस्तुतीकरण दिया एवं पूरे कार्यक्रम को विधिवत पूर्ण समझाया गया। इसके पश्चात् अतिरिक्त सचिव महोदय द्वारा सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2019 के विषय में जानकारी प्रदान



की गयी एवं ग्राम सभाओं में महिलाओं एवं सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश प्रदान किये।

दिनांक 21.10.2019 को महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल जबलपुर में संस्थान के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2019 के संबंध में

जानकारी प्रदान की गयी तत्पश्चात् अतिरिक्त सचिव महोदय द्वारा सबकी योजना सबका विकास योजना ग्राम पंचायत विकास योजना को केवल संरचना निर्माण तक सीमित न रहकर अन्य बिन्दु जैसे जीपीडीपी का सफल क्रियान्वयन, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अभिसरण के माध्यम से पंचायत के कार्य, महिलाओं की भूमिका, सभी वर्गों एवं सभी विभागों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु सुझाव एवं



समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, बैठक के प्रारंभ में संचालक महोदय द्वारा अतिरिक्त सचिव महोदय का स्वागत किया गया एवं औपचारिक परिचय के पश्चात् समीक्षा बैठक प्रारंभ की गयी।

संचालक महोदय द्वारा पॉवर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण गतिविधियों के संबंध में

आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये। तदोपरान्त सचिव महोदय द्वारा सायं 05.30 बजे डुमना एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिये प्रस्थान किया गया।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य



पंचायतराज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि के सार्थक प्रयास

गांव परिवेश में पली-बढ़ी महिला जनप्रतिनिधि यदि ढान ले की मुझे अपने क्षेत्र में वो करना है जो मैंने अपने क्षेत्र की जनता से जो वायदे किये है चाहें जो कुछ हो जाये करके ही दिखाऊंगी। यह सिद्ध किया श्रीमती पुष्पा नागेश्वर जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 12 जनपद पंचायत लालबर्सा जिला बालाघाट (म.प्र.) ने।



प्रशासन को जनता के प्रति जबाबदेह बनाया जाये शासन के द्वारा मछुआरों के हित में विभिन्न योजनायें चलायी जा रहीं है लेकिन आमजन को योजनाओं जानकारी न होने के कारण वास्तविक लाभ आमजन को नहीं मिलता है और आमजन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते है। ग्राम बकोड़ा जनपद पंचायत लालबर्सा जिला बालाघाट (म.प्र.) की मूल

निवासी श्रीमती बारूला बाई बागडे के पति की दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण दुर्घटना बीमा राशि न मिलने के कारण बारूला बाई द्वारा लगभग 8 माह ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से जिला, जिला से विभाग के चक्कर लगाने के पश्चात भी राशि न मिलने से परेशान रहीं। ग्राम संपर्क दौरे के दौरान बारूला बाई की मुलाकात श्रीमती पुष्पा नागेश्वर जनपद सदस्य से हुई। बारूला बाई ने दुर्घटना बीमा राशि न मिलने की पूरी दास्तान जनपद सदस्य को सुनाई। श्रीमती पुष्पा नागेश्वर ने बारूला बाई को भरोसा दिलाया की दुर्घटना बीमा राशि जल्द से जल्द दिला देंगी।

श्रीमती पुष्पा नागेश्वर के द्वारा अपने विशेष प्रयास से वारासिवनी थाना से एफ.आई.आर. की कॉपी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अन्य दस्तावेज एकत्रित कर जिला मतस्य विभाग बालाघाट में आवेदन जमा कराकर त्वरित कार्यवाही की चर्चा की। श्रीमती बारूला बाई के पति नेतलाल बागडे का सर्राठी जलाशय टेकाडी महुआ सहकारी सहमती के सदस्य थे। जिनकी मृत्यु अप्रैल 2016 में ग्राम पाथरी के पास सड़क दुर्घटना में हो गयी थी। जनपद सदस्य के सफल प्रयास से श्रीमती बारूला बाई बागडे को 2 लाख रुपये का चेक जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में प्रदान किया गया।

इसी प्रकार अपने जनपद क्षेत्र 12 में आमजन को लाभ दिलाने के साथ-साथ सामुदायिक विकास के भी कार्य किये गये।



- श्री राजेन्द्र दादरे, गणेशपुर को आपरेशन हेतु 81 हजार रुपये की सहायता।
- श्रीमती तीरन बाई, ग्राम बकोड़ा को 1 लाख 65 हजार रुपये की सहायता।
- श्री पंकज गौचन्द्र को घुटने की हड्डी के आपरेशन के लिये 1 लाख 31 हजार रुपये की राज्य बीमारी सहायता योजना अंतर्गत सहायता दिया जाना।
- श्री विनोद देशमुख, ग्राम बकोड़ा को 80 हजार रुपये की सहायता।
- श्रीमती कविता नागवंशी, ग्राम डोरली को हार्ट का आपरेशन के लिये 1 लाख 25 हजार रुपये की सहायता।
- परफारमेंस मद से भिरेगांव में 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कराकर एल.ई.डी. लाईट लगवाना।
- ग्राम पलाकामयी में 10 लाख 50 हजार रुपये का स्टॉप डेम निर्माण कराया जाना।
- साई ग्राम बकोड़ा के अंतर्गत आवास टोला में विद्युत व्यवस्था न होने के कारण कई दिक्कतों का सामना ग्रामवासी कर रहे थे, जनपद सदस्य के प्रयासों से राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के अंतर्गत 3 विद्युत पोलो की स्वीकृत कराकर विद्युतीकरण कार्य कराया जाना।
- ग्राम बकोड़ा में केन्द्र क्रमांक 01 के आसपास पीने के पानी की समस्या को निजात दिलाने के लिये हेण्डपंप उत्खन्न

का कार्य कराया गया, जिससे ग्रामवासियों को पेयजल की समस्या दूर हुई।

- कु. आशिका खैरवार, ग्राम बकोड़ा का आपरेशन 1 लाख 61 हजार राज्य बाल उपचार योजना से सहायता।

श्रीमती पुष्पा नागेश्वर, जनपद सदस्य का मानना है कि पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य समाजसेवा है। आदमी पद से नहीं कार्य से जाना जाता है, निश्चित ही पंचायतराज व्यवस्था में महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

काव्य रचना

दूषित वायु, दूषित जल को मिटाना है..
शुद्ध वायु, शुद्ध जल को अपनाना है..
पर्यावरण बचना है, पर्यावरण बचना है..
पॉलीथिन, प्लास्टिक को मिटाना है..
कागज को बचाना है,
पेपर लेस इंडिया बनाना है..
पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है..
पेड़- पौधों को तो खूब लगाना है..
जंगल- जानवरो को बचाना है....
पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है....
साईकल पर चलना है,
सेहत खूब बनाना है..
पेट्रोल को बचाना है,
प्रदूषण मुक्त करना है..
पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है..
कूड़ा- करकट से कंचन बनाना है..
फूलों से सुगंधित अगरबत्ती बनाना है..
पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है..

संजय जोशी संकाय सदस्य





राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान हैदराबाद के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 04 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरिएन्टेशन एण्ड असेसमेन्ट) प्रोग्राम संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल, जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 22 अक्टूबर 2019 से 25 अक्टूबर 2019 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी जिला सिवनी म.प्र. में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला सिवनी के 03, जिला मंडला के 18, जिला बालाघाट के 20 एवं जिला छिन्दवाड़ा के 06 प्रतिभागी कुल 47 उपस्थित रहे। प्रतिभागियों में पंचायत प्रतिनिधि, एनजीओ के सामाजिक कार्यकर्ता एवं समूह की सीआरपी शामिल हुये।

कार्यक्रम का प्रारम्भ श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, प्राचार्य, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी के द्वारा किया। कार्यक्रम में श्री मेहबूब खान, सहायक संचालक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी भी उपस्थित रहें। प्रतिभागियों को श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, प्राचार्य ईटीसी सिवनी द्वारा प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण के महत्व पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

श्री एस. मधुसूदन, ट्रेनिंग मैनेजर, एन.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर. हैदराबाद द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य को स्पष्ट करते हुये एन.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर. हैदराबाद को फिल्म प्रतिभागियों को दिखाई गई।



प्रथम दो दिवस में मास्टर रिसोर्स परसन की भूमिका, कैसे तैयारी करें एवं विषय से संबंधित प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण के तृतीय एवं चतुर्थ दिवस में श्री आर.डी. पोले, संकाय सदस्य यशवंतराव चौहान प्रशासनिक अकादमी विकास पुणे (महाराष्ट्र) एवं डॉ. ए.के. सिंह से एसेसर सेवा निवृत्त प्रोफेसर शासकीय महाविद्यालय जबलपुर द्वारा सभी प्रतिभागियों का असेसमेंट किया गया।



प्रशिक्षण के तृतीय दिवस 24.10.2019 को संचालक, श्री संजय कुमार सराफ एवं श्री सुनीता चौबे, उपसंचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर का क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी का भ्रमण किया गया। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होकर संचालक महोदय द्वारा प्रतिभागियों से प्रशिक्षण क्या है? कैसे किया जाना है? क्या तैयारी है? विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्राचार्य महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये।

प्रशिक्षण में डॉ. संजय कुमार राजपूत महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर अतिथिवक्ता एवं डॉ. विनोद सिंह संकाय सदस्य ईटीसी सिवनी रहें। प्रशिक्षण को व्यवस्थित रूप से सम्पादित करने में सभी संकाय सदस्य एवं संस्थान के समस्त कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा।

डॉ. विनोद सिंह,
संकाय सदस्य



जल संरक्षण एवं बेहतर कार्य के लिये मिला ग्राम पंचायत को आईएसओ प्रमाण पत्र

जिला सिवनी के अंतर्गत जनपद पंचायत सिवनी की ग्राम पंचायत कोहका (मानेगांव) सिवनी शहर सीमा से लगी कोहका (मानेगांव) ग्राम पंचायत है। कोहका (मानेगांव) ग्राम पंचायत का आर्कषण का केन्द्र है अंग्रेज शासन काल में निर्मित बबरिया तालाब है आज से 24 वर्ष पूर्व बबरिया तालाब की हालत बहुत बेकार थी तालाब के आसपास अतिक्रमण एवं बेशराम झाडियो की भरमार से बबरिया तालाब का अस्तित्व समाप्त हो रहा था ऐसे में ग्राम पंचायत के युवा ओजस्वी एवं कुछ करने की ललक रखने वाले सरपंच रामकिशोर यादव एवं सतीश डेहरिया ग्राम रोजगार सहायक ने ग्राम के जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) में ग्राम बबरिया के विकास का प्लान बनाया एवं योजना को विधिवत ग्राम सभा से अनुमोदित कर पूरी योजना तत्कालीन कलेक्टर श्री एस धनराजू (आई.ए.एस.) के समक्ष रखी कलेक्टर महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण का मनरेगा एवं अन्य योजनाओं



विधायक विधि सांसद निधि जन सहयोग से बबरिया तालाब सुधारकार्य वृक्षारोपण ग्रेवल सडक वाचटावर निषादभवन वर्ष 2015 से कार्य प्रारंभ किये गये सर्वप्रथम बबरिया तालाब क्षेत्र अतिक्रमण हटाकर पोल तार फेंसिंग का कार्य किया गया फेंसिंग के पश्चात् मनरेगा के अंतर्गत 2017-18 के तालाब के परिसर में 5.35 (पांच लाख पैतीस हजार रुपये) में 625 पौधों की जिसमें आम आवला अमरुद कटहल जैसे फलहार पौधों के साथ नीम पीपल के पौधों का वृक्षारोपण किया गया।



पौधों की देखरेख हेतु पौध रक्षक रखे गये। वृक्षारोपण सफल होने पर ग्राम पंचायत ने जन सहयोग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 5500 पौधों का पौधरोपण किया गया है जो वर्तमान में बबरिया तालाब का सौन्दीकरण में वृद्धि कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत जलाशय के वेस्ट वेयर के रखरखाव हेतु नाला बंधान कार्य प्रगतिरत है आज की स्थिति बबरिया जलाशय एवं वृक्षारोपण ग्राम पंचायत कोहका के बेहतर कार्य की पहचान बन गया है।



आज की स्थिति में बबरिया तालाब पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने लगा है बहुत नागरिक सुबह/शाम बबरिया तालाब वृक्षारोपण देखने आते हैं। जल है तो कल निश्चित ही जलसंरक्षण संवर्धन काज कार्य में बबरिया तालाब ग्राम पंचायत कोहका (मनेगांव) की सराहनीय पहल है ग्राम पंचायत कोहका (मानेगांव) को ग्राम पंचायत कार्यालय का बेहतर रख रखाव एवं व्यवस्थित रिकार्ड संधारित करने एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांगों को व्हीलचेयर दिलाये जाना इत्यादि व्यवस्था के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तरीय प्रमाण पत्र आईएसओं से सम्मानित

किया गया। निश्चय ही ग्राम पंचायत की जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) सभी विभागों एवं आम जनता की सहभागिता से बनाये गये प्लान का रूप वृक्षा रोपण एवं जल संरक्षण कार्य ग्रामीण विकास की पहचान है।

**सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य**



कृषकों की खुशहाली का साधन – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गावों में निवास करती है, और हमारे अन्नदाता अर्थात् किसान जब तक सुखी व समृद्ध नहीं होंगे, तब तक भारत का आम नागरिक भी खुशहाल व समृद्ध नहीं होगा।

भारत की आजादी के बाद से ही किसानों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये, अनेक योजनायें प्रारंभ की गईं।

भारत की आबादी का 70% आज भी ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है, और 70% आबादी खेती पर ही निर्भर है।

खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, पानी की हरेक बूंद बहुमूल्य है। केन्द्र सरकार जल संरक्षण एवं संवर्धन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई है। जल संचय और जल सिंचन के माध्यम से वर्षा के जल के दोहन से हम जल संरक्षण होगा और भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। प्रति बूंद अधिक फसल को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जावेगा।





प्रस्तावना –

देश में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर कुल बुवाई क्षेत्र में से वर्तमान में लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर (47%) सिंचाई के तहत कवर है। वर्षा पर अत्याधिक निर्भरता गैर सिंचित क्षेत्रों में खेती को जोखिम भरा और कम उत्पादक व्यवसाय बनाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वृहद दृष्टिकोण देय में सभी कृषि फार्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित करेगा, ताकि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन लिया जा सकेगा और इस प्रकार वांछित ग्रामीण समृद्धता लाई जा सकेगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य उद्देश्य –

1. फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्रदान करना।
2. खेत में जल की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि भूमि को बढ़ाना।
3. उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधन का समेकन वितरण और समुचित उपयोग।
4. अवधि और सीमा में अपशिष्ट घटाने और उपलब्धता वृद्धि के लिए ऑन फार्म जल उपयोग क्षमता का सुधार।



योजना की राणनीति और फोकस क्षेत्र –

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला पर विस्तार सेवा आदि में मूलभूत समाधान पर फोकस करते हुए राणनीति बनाई गई है। वृहद रूप में PMKSY निम्नलिखित पर फोकस करेगा :-

1. नये जल स्रोतों का निर्माण, जीर्ण जल स्रोतों का पुर्नस्थापन और पुर्नउद्धार, परम्परागत जल तालाबों जैसे जल मंदिर (गुजरात), खतरी, कुहल (हिमाचल प्रदेश), बंधा (ओडिसा और मध्यप्रदेश) आदि की क्षमता बढ़ाना।
2. जहां सिंचाई स्रोत उपलब्ध हैं अथवा निर्मित है में वितरण नेटवर्क का विस्तार/ वृद्धि करना।
3. प्रभावी जल परिवहन और फार्म के भीतर क्षेत्र अनुप्रयोग उपकरणों यथा भूमिगत पाईप प्रणाली, पीवोट, रेनगन और अन्य अनुप्रयोग उपकरणों आदि को प्रोत्साहित करना।

कार्यक्रम घटक –

- (1) स्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
- (2) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)
- (3) प्रति बूंद अधिक फसल।

कौन होगा इस योजना के लिए पात्र –

योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को किसानों को दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास खुद की खेती एवं जल स्रोत उपलब्ध हैं। योजना का लाभ सहकारी समितियों के सदस्यों, (SHG), पंचायती राज संस्थाओं, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी दिया जाता है।

लाभार्थी किसान अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत अथवा ऋण प्राप्त करके अदा करने के लिए सक्षम हो।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रति हेक्टेयर 12000/- की राशि प्रदान की जाती है।

अभिसरण –

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन, एवं ग्रामीण विद्युतिकरण सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, राज्य वन प्रभाग की कार्य योजना आदि से संबंधित कार्यक्रमों आधारित सभी ग्रामीण परिसंपत्तियों के साथ समरूपता सुनिश्चित करेगी।



आवश्यक परिवर्तन –

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, योजना के एनईसी के अनुमोदन से जब कभी इस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक समझा जाए तब वित्त पोषण पैटर्न को प्रभावित करने के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रचालन दिशा निर्देशों में भी परिवर्तन कर सकता है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के किसानों के लिए एक लाभकारी योजना साबित हो रही है, इस योजना के तहत एक तरफ जहां किसानों का कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो रही है जो किसान को खुशहाल और समृद्ध बना रही है।

इस योजना का लाभ प्राप्त कर किसान आज बहुफसली खेती कर रहा है, एक तरफ, रबी,



खरीफ की खेती का रकवा बढ़ा है वहीं, फलों, सब्जियों एवं जायद फसलों का भी कृषि रकवा बढ़ रहा है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों के लिए खुशहाली का बेहतर साधन बन गया है।

संजय जोशी
संकाय सदस्य



सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के दिन 02 अक्टूबर 2019 से देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, जिसमें शामिल है प्लास्टिक से बनने वाले 6 प्रोडक्ट्स प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कप्स, प्लेट्स, बोतल और शीट्स।

दुनिया के समक्ष इस सदी की सबसे भयावह समस्या पर्यावरण का बिगड़ता स्वरूप है, जहाँ प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट उत्प्रेरक की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। ऐसे में 7.5 फीसदी ही रीसाइक्लिंग हो पाने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिट्टी, जीवों के लिये घातक रसायनों का अंबार बनते जा रहे हैं, और लगातार प्लास्टिक उत्पादन से दक्षिण एशियाई देश प्लास्टिक के डंपिंग यार्ड बन गए हैं। आंकड़ों की माने तो हम 300 मिलियन यानि 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल



दुनिया की आबादी जितना बढ़ रहा है प्लास्टिक का उपयोग

फेंक रहे हैं, ये भार पृथ्वी पर मनुष्यों की कुल आबादी के भार के बराबर है।

दुनिया में कुल 15 राज्य/देश ऐसे हैं जहां सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर प्रतिबंधात्मक एक्शन लिए गए हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में केन्या द्वारा प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल, खरीदी या बिक्री और उत्पादन करने पर 38 हजार डॉलर जुर्माना या 4 साल तक जेल इस दिशा में उठाया गया काफी साहसिक कदम था। ताइवान मांट्रियाल, वनुआटू, जिम्बाब्वे, मलिबू जैसे देश भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कारगर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में प्रकृति को नमन करने वाले संस्कारों से परिपूर्ण भारत भी इस मुहिम में कदम-ताल करने अग्रसर हो उठा हो।

नई दिल्ली 2017 में सर्वाधिक खराब क्वालिटी एयर शहर घोषित होने के बाद पूरे एनसीआर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ, वहीं बंगला साहिब गुरुद्वारे ने हर तरह के प्लास्टिक सामान पर बैन लगा दिया। इंदौर शहर में 3 साल से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंधित कार्रवाई की जा रही है। इंदौर नगर निगम ने कपड़ा थैला बैंक की शुरुआत कर, इस मुहिम में और एक कदम आगे बढ़कर कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही





मध्यप्रदेश के विभिन्न शहर इस सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को पूर्ण करने में पूर्ण सहभागिता दर्शा रहे है।

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, जबलपुर भी विश्व की इस कवायद के साथ अपने पग चिन्हों को भी अंकित करने की दिशा में अग्रसर है। सतत् रूप से नैसर्गिक वातावरण के मध्य स्थापित हरियाली से परिपूर्ण संस्थान स्वयं में ही पर्यावरण हितेषी संस्थान के रूप में परिभाषित है, साथ ही 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन घोषणा के पश्चात् दिल्ली से श्री संजय सिंह (आई.ए.एस.) अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के वैषयिक भ्रमण के दौरान संस्थान में प्लास्टिक बॉटल्स का परित्याग कर कांसे की बोतलों में पानी देकर इसे चरितार्थ भी किया गया।

श्रीमती श्रद्धा सोनी,
विकासखण्ड अधिकारी

